## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

पिनाएट OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन-682009 CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

DID No. 2835100

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

दिनांक Date: 15.07.2020

F.No. Vig./Misc./06/2019-Cus.

## सतर्कता स्थायी आदेश Vigilance Standing Order: 03/2020

विषय: विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यालय परिसर में प्रवेश करते समय ले जाने वाले नकदी की घोषणा -नकदी घोषणा पंजी - "नकदी का स्रोत" कॉलम(स्तंभ) जोड़ा जाना - से संबंधित।

Subject: Declaration of Cash carried by departmental officers while entering into office premises - Cash Declaration Register - Addition of column on "Source of Cash" - Reg.

सभी अधिकारियों का ध्यान डी जी ओ वी के अर्ध शास.पत्र डी.ओ.एफ. क्रमांक V/500/121/2009 दिनांक 12.03.2010, जिसमें अन्य बातों के साथ, कार्यालय परिसर में प्रवेश करते समय सभी रैंकों(श्रेणियों) के विभागीय अधिकारियों द्वारा लाए जाने वाली नकदी की घोषणा की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 5000/- रुपये की गई थी, की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all officers is invited to the DGoV's D.O. letter D.O.F. No. V/500/121/2009 dated 12.03.2010 wherein inter alia, the threshold limit of declaration of cash carried by the departmental officers of all ranks while entering into the office premises was enhanced to Rs. 5,000/-.

2. इस संदर्भ में, अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने पत्र C.No.II / 39/51 / 2016-Dte.Vig दिनांक 01.07.2020 के संदर्भ में विभिन्न इकाईयों में रखे गए "नकदी घोषणा पंजी" में एक कॉलम(स्तंभ) "कैश का स्रोत" जोड़ने का निर्णय लिया है। इस परिस्थिति में, नकदी घोषणा रजिस्टर को निम्न प्रारूप में बनाए रखा जाएं।

In this context, officers are informed that the Competent Authority has vide letter C.No.II/39/51/2016-Dte.Vig. dated 01.07.2020, decided to add a column "Source of Cash" in the said "Cash Declaration Register" being maintained in the various formations. In the circumstance, the Cash Declaration register shall henceforth be maintained in the following format.

क्र.सं .Sl. No.	तिथि Date	अधिकारी का नाम तथा पदनाम Name of the Officer and Designati on	कार्यालय परिसर में प्रवेश करते समय 5000/- रुपये से अधिक की राशि की घोषणा Amount declared in excess of Rs. 5,000/- at the time of arrival at office premises	अधिक की राशि को रखने का कारण Reasons for possession of the amount in excess of Rs. 5,000/-	स्रोत Source of Cash	घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर Signature of the declarant	पर्यवेक्षी प्रधान के हस्ताक्षर Signature of the Supervisory head.
1	2	3	4	5	6		

3. सभी अनुभाग प्रमुखों को अनुदेश दिया जाता है कि वे ऊपर दर्शाए अनुसार नकद घोषणा पंजी रखे तथा उसका अद्यतनीकरण करें।

All Section heads are directed to update and maintain the Cash Declaration Register as above.

Sd/-(मोहम्मद यूसफ़ MOHD. YOUSAF) सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

// अनुप्रमाणित Attested//

(कोशी अब्रहाम KOSHY ABRAHAM) सीमा शुल्क अधीक्षक (सतर्कता)

Superintendent of Customs (Vigilance)

## सेवा में To :

1. सीमाशुल्क गृह के सभी अनुभाग/एयरपोर्ट/ए सी सी/डॉक्स/पी ए डी/ सभी सी एफ एस/ आई सी टी टी

All Sections of Custom House/Airport/ACC/Docks/PAD/All CFSs/ICTT

र्व. ई डी आई(सीमाशुल्क गृह की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु)
EDI (For uploading to Cochin Customs Website).

3. सूचना पट्ट Notice Board.